(१०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 354-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-7-2007 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 368/1993-94 अपील

1- हरीवॅश प्रसाद 2- कोशल प्रसाद 3- विष्णुप्रसाद
4- भगवानप्रसाद 5- राजीवलोचन सभी पुत्रगण
स्वर्गीय रामसुमन निवासी ग्राम खैरा तहसील
मउञ्रांज जिला रीवा मध्य प्रदेश
6- श्रीमती कुसुमी पत्नि शेषमणि
7- श्रीमती मुन्नी पत्नि रमाशंकर तिवारी
दोनों निवासी ग्राम हटवा तहसील हनुमना जिला रीवा
8- छोटे पुत्री रामसुमन ग्राम खैरा तहसील हनुमना जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती सावित्री पत्नि रामनरेश मिश्र
2- मनोकामना 3- मिथलेश कुमार
पुत्रगण स्व.रामनरेश मिश्र, निवासी ग्राम
खैरा तहसील हनुमना जिला रीवा ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 01-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 368/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-07-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय रामसुमन ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार हनुमना को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110

के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम खैर स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 0.16 ए. में से जुज रकबा 0.08 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर रूपये 10,000/: में कय किया है विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाय। स्वर्गीय रामनरेश मिश्र ने इस आधार पर नामान्तरण की मांग की कि इस भूमि के हिस्सा 1/2 को उसने कच्ची बेची टीप रू. 20/- में कय किया तथा भूमि पर वह काविज है कि इसलिये उसका नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना ने प्रथक प्रथक दो कमशः कमांक 163 अ-6/91-92 एंव 164 अ-6/91-92 पॅजीबद्व किये तथा संयुक्त सुनवाई करके आदेश दिनांक 10-5-1993 पारित किया एवं भूमिस्वामी महिला मन्नू पत्नि बुद्वसेन के विकय पत्र दिनांक 7-3-69 (कच्ची बेंची टीप) के आधार पर आराजी कमांक 103 के रकबा 0.16 ए. में से जुज रकबा 0.08 भूमि एंव 3 आम के पेड़ पर भूमिस्वामी पारसनाथ के स्थान पर रामनरेश , गिरजा प्रसाद के नाम नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 31/अ-6/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1994 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर रामसुमन का नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 368/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-07-2007 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया तथा कच्ची बेंची टीप के आधार पर तहसीलदार द्वारा किये गये नामान्तरण को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 19-07-2007 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परलिक्षित है कि स्वर्गीय रामसुमन ने तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खैर स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 0.16 ए. में से जुज रकबा 0.08 को रजिस्टर्ड विकय पत्र

रूपये 10,000/: के आधार पर क्रय करने से नामान्तरण की मांग की है एंव स्वर्गीय रामनरेश मिश्र ने इसी भूमि के हिस्सा 1/2 को कच्ची बेची टीप रू. 20/- में क्रय करने के आधार पर नामान्तरण की मांग की है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10-5-1993 में कच्ची बेंची टीप पर निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :-

"अतः अपॅजीकृत पाट की बैधता का परीक्षण करना समीचीन है क्योंकि यह तहरीर वर्तमान पंजीयत पाट (दि. 7-3-69) में विकेता मन्नू की ओर से यह तहरीर है कि मैं मुस. मन्नू पतनी श्री बुद्धसेन मिश्रा सा.खैरा ग्राम खैरा नं.1 में आराजी नं. 103 रकबा 0.16 डि. जो वाग है जिसमें 6 पेड़ आम के वृक्ष हैं उसका पट्टा शुभकरण राम एंव सतानन्द मिश्रा सा. खैरा के नाम से है। इस प्रकार शासकीय नियमानुसार मुताविक पट्टा मेरा हिस्सा वाग में 1/2 भाग श्री रामनरेश तनय शुभकरण राम एंव गिरजाप्रसाद तनय सतानन्द मिश्र को देकर वतौर मुआवजा उक्त व्यक्तियों से 20-00 बीस रूपये ले रही हूँ। "

तहसीलदार व्दारा आदेश में किये गये उक्तानुसार अंकन से प्रतीत होता है कि शासकीय अभिलेख में यह महिला भूमिस्वामी अंकित नहीं रही है अपितु अभिलेख में शुभकरण राम एंव सतानन्द मिश्रा सा. खैरा के नाम है। तहसीलदार ने यह जांच नहीं की है कि शासकीय अभिलेख में वास्तविक भूमिस्वामी कौन दर्ज है एंव क्या महिला महिला मन्नू पत्नि बुद्धसेन अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज रही है एंव महिला मन्नू पत्नि बुद्धसेन को भूमि विक्रय करने की अधिकारिता तत्समय रही है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में अंकित इवारत से एंव की गई विवेचना से उक्त पर स्थिति स्पष्ट नहीं है यदि अभिलेख में महिला मन्नू पत्नि बुद्धसेन भूमिस्वामी अंकित रही होती, तब विवादित भूमि को पारसनाथ नामक व्यक्ति ने पॅजीकृत विक्रय पत्र से स्वर्गीय रामसुमन को भूमि किन आधारों पर विक्रय की है यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है इसके वाद भी तहसील न्यायालय व्दारा कच्ची बेंची टीप के आधार पर रामनरेश , गिरजा प्रसाद का नाम नामान्तरण स्वीकार करने में एंव अपर आयुक्त व्दारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-5-1993 को पुष्टि करने में भूल की गई है तथा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने भी आदेश दिनांक 23-2-1994 में उक्त पर विचार किये बिना पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वर्गीय रामसुमन का नामान्तरण स्वीकार करने में भूल की है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों

के अवलोकन से परिलक्षित है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष भिन्नता लिये है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 368/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-07-2007 , अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 31/अ-6/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-4-1994 तथा तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 163 अ76/91-92 एंव 164 अ-6/91-92 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 10-5-1993 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार हनुमना की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचना अनुसार समस्त अभिलेखों की जांच करते हुये हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करें तथा प्रकरण में पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर